मध्यप्रदेश शासन
उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक 1310/1410/2020/58, **भोपाल, दिनांक** 23 /09/2020

प्रति,

कलेक्टर,
जिला ..... समस्त (म.प्र.)

विषयः- एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फण्ड योजना अंतर्गत कृषक, (FPOS, PACS, मार्केटिंग कॉपरेटिव सोसाइटी, मल्टी परपज कॉपरेटिव सोसाइटी) आदि को लाभान्वित करने बावत्।

संदर्भः- भारत सरकार कृषि मंत्रालय किसान कल्याण एवं सहकारिता विभाग नई दिल्ली के पत्र क्रमांक R-11016/2/2020-I&P दिनांक 17.07.2020

भारत सरकार कृषि मंत्रालय किसान कल्याण एवं सहकारिता विभाग नई दिल्ली के पत्र क्रमांक R-11016/2/2020-I&P दिनांक 17.07.2020 के द्वारा एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फण्ड योजना के संबंध में निर्देश जारी किये गये हैं। जिसकी प्रति संलग्न प्रेषित है। इस योजना के तहत कृषक, (FPOS, PACS, मार्केटिंग कॉपरेटिव सोसाइटी, मल्टी परपज कॉपरेटिव सोसाइटी) आदि को लाभान्वित किया जाना है।

2/ इस योजना के संबंध में निम्न बिन्दुओं पर ध्यान दिया जाये।

i. योजना हेतु Viable Projects तैयार किये जाये।

ii. योजना का प्रचार-प्रसार आई.ई.सी. (Information Education and Communication), कृषि विज्ञान केन्द्र (KVK), एवं Webinar आदि के माध्यम से किया जाये।

iii. उक्त योजना के अन्तर्गत अधोसंरचना का चयन (कोल्ड स्टोरेज, राइपनिंग चेम्बर, पैक हाउस, प्याज भण्डार गृह, प्राइमरी प्रोसेसिंग यूनिट आदि) One District One Product scheme के तहत प्रदेश के जिलों में चयनित फसलों के आधार पर किया जाये।

iv. योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु इच्छुक कृषकों (FPOS, PACS, मार्केटिंग कॉपरेटिव सोसाइटी, मल्टी परपज कॉपरेटिव सोसाइटी) आदि का www.agriinfra.dac.gov.in वेबसाईट पर ऑनलाईन पंजीयन करायें।

3/ इस संबंध में One District One Product की अवधारणा के अन्तर्गत मध्यप्रदेश के निम्न जिलों में चयनित फसलों हेतु परियोजना का प्रस्ताव तैयार किया जाना है:-

क्र.	जिले का नाम	चिन्हित उत्पाद	प्रस्तावित परियोजना का प्रकार
1	आगरमालवा, राजगढ़	संतरा	ग्रेडिंग एण्ड सोर्टिंग यूनिट
2	अलीराजपुर	सफेद मूसली	प्राइमरी प्रोसेसिंग यूनिट
3	अनूपपुर, बालाघाट, सीधी, उमरिया	आम	राइपनिंग चेम्बर, मोबाइल पलपिंग यूनिट
4	अशोकनगर, गुना	धनिया	ग्रेडिंग, सोर्टिंग एण्ड ड्राइंग यूनिट

निरंतर.....

क्र.	जिले का नाम	चिन्हित उत्पाद	प्रस्तावित परियोजना का प्रकार
5	बड़वानी, दमोह, धार, सागर, सतना, झाबुआ, कटनी, रायसेन, शिवपुरी	टमाटर	प्राइमरी प्रोसेसिंग यूनिट, मोबाइल पलपिंग यूनिट
6	बेतूल	काजू	प्राइमरी प्रोसेसिंग यूनिट
7	भिण्ड, छिन्दवाड़ा, देवास, ग्वालियर, मुरैना, उज्जैन, इन्दौर	आलू, सरसों	कोल्ड चेन, कोल्ड स्टोरेज
8	भोपाल, श्योपुर	अमरूद	प्राइमरी प्रोसेसिंग यूनिट, मोबाइल पलपिंग यूनिट
9	बुरहानपुर	केला	राइपनिंग चेम्बर, प्राइमरी प्रोसेसिंग यूनिट
10	छतरपुर, रीवा, शहडोल,	हल्दी	ग्रेडिंग, सोर्टिंग, पीलिंग एण्ड ड्राइंग यूनिट, भण्डारण सुविधा
11	जबलपुर	हरी मटर	कोल्ड चेन, कोल्ड स्टोरेज
12	मन्दसौर, रतलम, दतिया	लहसुन	ग्रेडिंग, सोर्टिंग, पीलिंग एण्ड ड्राइंग यूनिट, भण्डारण सुविधा
13	पन्ना	आंवला	ग्रेडिंग, सोर्टिंग, पीलिंग एण्ड ड्राइंग यूनिट, भण्डारण सुविधा
14	हरदा, खरगौन	मिर्च	ग्रेडिंग, सोर्टिंग एण्ड ड्राइंग यूनिट, कोल्ड स्टोरेज
15	होशंगाबाद	नींबू, अमरूद	ग्रेडिंग एण्ड सोर्टिंग यूनिट
16	शाजापुर, खण्डवा	प्याज	ग्रेडिंग, सोर्टिंग, पीलिंग एण्ड ड्राइंग यूनिट, भण्डारण सुविधा
17	टीकमगढ़, निवाड़ी	अदरक	ग्रेडिंग, सोर्टिंग, पीलिंग एण्ड ड्राइंग यूनिट, भण्डारण सुविधा

कृपया उक्त योजना का ज्यादा से ज्यादा लाभ हितग्राहियों को दिलाने हेतु योजना के प्रावधान अनुसार सभी आवश्यक कार्यवाहियां सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

(कल्पना श्रीवास्तव)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग

निरंतर.....

भोपाल, दिनांक 23/09/2020

क्रमांक 131 /1410/2020/58,

प्रतिलिपिः- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू।

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
2. निज सचिव, माननीय मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग।
3. अपर मुख्य सचिव सह कृषि उत्पादन आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
4. आयुक्त सह संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, मध्यप्रदेश भोपाल।
5. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश कृषि उद्योग विकास निगम, मध्यप्रदेश, भोपाल।
6. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड (मण्डी बोर्ड), मध्यप्रदेश भोपाल।
7. आयुक्त, संभाग ..... , मध्यप्रदेश।
8. कलेक्टर जिला ..... , मध्यप्रदेश की ओर उक्त निर्देशों के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु पालनार्थ।
9. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, जिला ..... , मध्यप्रदेश।
10. संयुक्त संचालक उद्यान, संभाग ..... (समस्त) , मध्यप्रदेश।
11. उप /सहायक संचालक उद्यान जिला ..... मध्यप्रदेश ।
12. आई.टी. शाखा संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी भोपाल की ओर वेबसाईट पर अपडेट व साईट पर लिंक करने हेतु ।
13. गार्ड फाइल।

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग

भारत सरकार,

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड

"एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड" (कृषि अवसंरचना कोष) के द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान

इस योजना के तहत, बैंकों और वित्तीय संस्थानों के द्वारा एक लाख करोड़ रुपये ऋण के रूप में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS), विपणन सहकारी समितियों, किसान उत्पादक संगठनों (FPOs), स्वयं सहायता समूहों (SHG), किसानों, संयुक्त देयता समूहों (JLG), बहुउद्देशीय सहकारी समितियों, कृषि उद्यमियों, स्टार्टअपों, संग्रहित अवसंरचना प्रदाताओं और केंद्रीय/राज्य एजेंसियों या स्थानीय निकायों द्वारा प्रायोजित निम्नलिखित पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट को उपलब्ध कराई जाएगी।

I. ई-मार्केटिंग प्लेटफार्म
II. गोदाम
III. साइल
IV. पैक हाउस
V. परख इकाइ
VI. ग्रेडिंग एवं सोर्टिंग यूनिट
VII. कोल्ड चेन
VIII. लॉजिस्टिक्स सुविधाएं
IX. प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र
X. रैपनिंग चैम्बर्स

स्कीम की विशेषता:-

- "एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर" के तहत सभी ऋणों के लिए 2 करोड़ रुपये की सीमा तक प्रति वर्ष 3% का ब्याज पर अनुदान दिया जायगा। यह छूट अधिकतम 7 वर्षों के लिए उपलब्ध होगी।

- बैंक क्रेडिट गारंटी कवरेज की सुविधा होगी, जो कि 2 करोड़ रुपये की ऊपरी सीमा वाले ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज (CGTMSE) योजना के तहत इस वित्तपोषण सुविधा से सभी पात्र उधारकर्ताओं के लिए उपलब्ध होगी। सरकार इस क्रेडिट गारंटी कवरेज से संबंधित सभी शुल्क वहन करेगी।
- राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)/डीएसी एंड एफडब्ल्यू के साथ समझौते (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने के बाद सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, अनुसूचित सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी), लघु वित्त बैंक, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) एवं राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) इस वित्तपोषण सुविधा को प्रदान करने के लिए भाग ले सकते हैं।

वित्तीय सहायता:-

क्रमांक	**घटक**	**लागत मापदंड**
1.	इंटीग्रेटेड पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स पैक हाउस, रैपनिंग चैंबर, रेफर वैन, रिटेल आउटलेट्स, प्री-कूलिंग यूनिट्स, प्राइमरी प्रोसेसिंग आदि	रु.145.00 लाख अधिकतम प्रति प्रोजेक्ट
2.	कन्वेयर बेल्ट, छंटाई, ग्रेडिंग इकाइयों, धोने, सुखाने की सुविधाओं के साथ एकीकृत पैक हाउस	रु.50.00 लाख अधिकतम प्रति यूनिट(9 मी *18मी)
3.	प्री-कूलिंग	रु.25.00 लाख अधिकतम /यूनिट (6 मी टन)
4.	रैपनिंग चैंबर	रु.1.00 लाख अधिकतम /मीट्रिक टन
5.	फल एवं सब्जी, सुगंधित पौधे एवं काजू के प्राथमिक प्रसंस्करण संयंत्र	रु.25.00 लाख अधिकतम / यूनिट
6.	कोल्ड स्टोरेज एवं 5001 से 10000 मीट्रिक टन क्षमता वाले नियंत्रित वातावरण भंडारण के लिए	रु.6800 से 9500 अधिकतम प्रति मीट्रिक टन

सहायता का पैटर्न :-

- पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सामान्य क्षेत्रों में प्रति परियोजना रु.50.75 लाख तक सीमित लागत का 35% और पूर्वोत्तर क्षेत्र, पर्वतीय राज्यों एवं अनुसूचित क्षेत्रों में रु.72.50 लाख प्रति परियोजना तक 50% की दर से सब्सिडी दी जाएगी।

- कोल्ड स्टोरेज और नियंत्रित वायुमंडल भंडारण ऋण के लिए सामान्य क्षेत्रों में प्रति परियोजना 35% की दर से और पूर्वोत्तर क्षेत्र, पर्वतीय राज्यों और अनुसूचित क्षेत्रों में प्रति परियोजना 50% की दर से सब्सिडी दी जाएगी।

नोट:-

एग्री इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम के बारे में अधिक जानकारी के लिए agricoop.nic.in एवं एनएचबी की वेबसाइट nhb.gov.in पर संपर्क करें एवं ऑनलाइन आवेदन सिडबी पोर्टल उद्यमी मित्र पर करें।